न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 21/2024

श्री मनोज कुमार सिन्हा, खाद्य संरक्षा अधिकारी, उप रेल्वे, अजमेर
(कार्यालय अभिहित अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा विभाग, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय), जयपुर)

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री भीष्म बालानी पुत्र श्री तोलाराम, रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल मैसर्स बृजमोहन शर्मा, (प्रोपराईटर राजेन्द्र प्रसाद शर्मा) प्लेंटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर। (स्थायी पता – प्लॉट नम्बर 229, यूआईटी कॉलोनी, अजय नगर, अजमेर (खाद्य कारोबारकर्ता/वेण्डर)
2. मैसर्स बृजमोहन शर्मा, (प्रोपराईटर राजेन्द्र प्रसाद शर्मा) प्लेंटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर। (स्थायी पता –धोबीघाट रोड, दादाबाड़ी के पीछे, अम्बाबाड़ी, तोपदडा, अजमेर)(मैसर्स लाईसेन्सी)
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा, मैसर्स बृजमोहन शर्मा, (प्रोपराईटर राजेन्द्र प्रसाद शर्मा) प्लेंटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर। (स्थायी पता –धोबीघाट रोड, दादाबाड़ी के पीछे, अम्बाबाड़ी, तोपदडा, अजमेर) (प्रोपराईटर)
4. मैसर्स मानसिंह पंवार, डेयरी एण्ड एफएमसीजी प्रोडक्टस, 569, गली नम्बर 2, वार्ड नम्बर 45, गुलाब बाड़ी, अजमेर(फर्म/वितरक)
5. श्री मानसिंह पंवार पुत्र श्री अमर सिह पंवार, डेयरी एण्ड एफएमसीजी प्रोडक्टस, 569, गली नम्बर 2, वार्ड नम्बर 45, गुलाब बाड़ी, अजमेर (प्रोपराईटर/वितरक)
6. श्री तरूण शर्मा पुत्र श्री रामपाल शर्मा (क्वालिटी मैनेजर एण्ड नॉमिनी), मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, ग्राम परसरामपुरा, पोस्ट सरगोठ, नेक्सट टू रीको ओवरहैड वाटर टेंक, श्री खाटूश्यामजी, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, रींगस जिला सीकर (राज) पिन 332404 (स्थायी पता – वार्ड नम्बर 03, गुलाब नगर, रींगस, जिला सीकर पिन 332404)(नॉमिनी/निर्माता)
7. मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, ग्राम परसरामपुरा, पोस्ट सरगोठ, नेक्सट टू रीको ओवरहैड वाटर टेंक, श्री खाटूश्यामजी, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, रींगस जिला सीकर (राज) पिन 332404 (निर्माता)

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51के तहत

अभिभाषक : श्री अजय कुमार वर्मा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक–10.09.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य संरक्षा अधिकारी, उप रेल्वे, अजमेर कार्यालय अभिहित अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा विभाग, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) जयपुरनेने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी नेर्स्टलाइज्ड डबल टोन्ड फ्लेवर्ड मिल्क बादाम (ब्राण्ड क्षीर) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II)का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीदबिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक जयपुर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद, खाद्य विश्लेषक जयपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट, रेफरल फूड लेबोरेटरी पुणे की जाँच रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजों की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.05.2023को 11:30 पर खाद्य संरक्षा अधिकारीरिफ्रेशमेन्ट स्टॉल मैसर्स बृजमोहन शर्मा, प्रोपराईटर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 04/05, अजमेरपर निरीक्षण हेतु पहुँचे।विक्रेता की हैसियत से श्री भीष्म बालानी मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर उसने अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समयStertilised double tond flavoured milk badam (brand Ksheer)की पॉलीपेट, कम्पनी द्वारा सीलड पैक्ड की कई बोतलें (प्रत्येक की मात्रा 180 मिली) आम जनता कोंविक्रय हेतु रखी हुई मिली।उक्त डबल टोन्ड फ्लेवर्ड मिल्क बादाम (क्षीर)की गुणवत्ताका शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु डबल टोन्ड फ्लेवर्ड मिल्क बादाम (क्षीर)12 पॉलीपेट बोतल360/— रूपयें श्री भीष्म बालानी को नगद देकर गवाह श्री मनोज सिंहके समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री भीष्म बालानीको सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा डबल टोन्ड फ्लेवर्ड मिल्क बादाम (क्षीर)के चार नमूना भाग (प्रतयेक नमूना भाग में 03 सीलड पॉलीपेट) तैयार कर विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी उ प रेल्वे जयपुर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर एन डब्ल्यू आर 1062चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् मौके पर ही फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की। सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जयपुर को श्री विनोद कुमार , सामान्य सहायक के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जयपुर को को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं अति. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप रेल्वे, अजमेरको स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रार्थी खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से डबल टोन्ड फ्लेवर्ड मिल्क बादाम (क्षीर)(जिसका नमूना लिया गया था) का माल खरीद बिल मांगे जाने पर विक्रेता ने उक्त बिल की प्रति उपलब्ध करवायी।

खाद्य संरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप रेल्वे, जयपुर के पत्र क्रमांक मेड/एच/605/एफएसएसए/लैब रिपोर्ट्स/एनडब्ल्यूआर—1062 दिनाक 12.06.20230के अनुसार खाद्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/775/एक्ट/2023/809दिनांक 02.06.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया Stertilised double tond flavoured milk badam

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

(brand Ksheer)अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) व मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड) होना पाया गया। अप्रार्थी श्री भीष्म बालानी द्वारा उक्त जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर पुनः जाँच हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर नमूना सं 2 को रेफरल प्रयोगशाला पुणे से जाँच करवाने पर रेफरल प्रयोगशाला पुणे की रिपोर्ट दिनांक 03.08.2023 के अनुसार उक्त नमूना को अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया। इस आधार पर खाद्य संरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक17.05.2024 को प्रस्तुत किया।

खाद्य संरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 17.05.2024को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री अजय कुमार वर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

नियत पेशी को वकील अप्रार्थीगण ने लिखित प्रत्युत्तर और लिखित बहस बिन्दु प्रस्तुत किये। अपने प्रत्युत्तर और बहस बिन्दु में वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद गलत होने के कारण अस्वीकार योग्य है। यह कथन गलत है कि अप्रार्थी द्वारा वेण्डर को रू. 360/– नकद देकर वास्ते नमूना जाँचडबल टोन्ड फ्लेवर्ड मिल्क बादाम (क्षीर) का क्रय किया। यह कथन भी गलत हैकि मोके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर वेण्डर व गवाह को पढ़कर, सुनाकर व समझाकर हस्ताक्षर करवाये गये। उन्होने यह भी कथन किया कि प्रार्थी ने नमूना लेते समय मिथ्या छाप का कोई अंकन अपने रिकॉर्ड में नहीं किया है। निरीक्षण के समय मिलावट का शक होने पर नमूना लिया गया जबकि मौका पंचनामा में दूध उत्पादक मिलावटी होने का शक अंकित किया है। इसी प्रकार मौका पंचनामा में बैच नम्बर व बेस्ट बिफोर का अंकन नहीं किया गया है जबकि फार्म 5एमें ब्राण्ड नेम, बैच नम्बर, बेस्ट बिफोर व मैन्यूफैक्चरिंग डेट का अंकन किया गया है, इससे स्पष्ट है कि नमूना जाँच हेतु क्रय किया गया प्रोडक्ट मिथ्याछाप नहीं है। उन्होने यह भी कथन किया कि प्रार्थी ने यह अंकन नहीं किया है नमूना जाँच हेतु दी गयी राशि का भुगतान किस प्रकार किया गया, कितने कितने के नोट दिये गये व उक्त राशि कार्यालय या राजकोष द्वारा दी गयी, इसका उल्लेख भी परिवाद में नहीं किया गया है। उन्होने यह भी कथन किया कि दुग्ध पाउडर व क्रीम पाउडर दुग्ध उत्पादक है जो कि दूध अथवा क्रीम से पानी को निकाल कर बनाया जा सकता है तथा दूध व क्रीम के वसा व प्रोटीन के अंश को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर उन्होने परिवाद को निरस्त करने का निवेदन किया।
हमने पत्रावली एवं खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्युत्तर व लिखित बहस का अवलोकन किया। खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया Stertilised double tond flavoured milk badam (brand Ksheer)अवमानक(सब स्टेण्डर्ड)पाया गया है।परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया डबल टोन्ड फ्लेवर्ड मिल्क बादाम (क्षीर)अवमानक (सब स्टेण्डर्ड)होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।
अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड)पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

अप्रार्थीगण का यह कथन उचित नहीं है कि परिवाद में वर्णित तथ्य गलत होने से स्वीकार योग्य नही है। परिवादी खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा वास्ते जाँच क्रय किया गया डबल टोन्ड फ्लेवर्ड मिल्क बादाम (क्षीर), क्रय नहीं किया गया है या मौका फर्द पर वेण्डर के हस्ताक्षर नहीं कराये जाने का कथन करने के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा द्वितीय जाँच रेफरल लेबोरटरी से करवाये जाने का निवेदन किया जो कि स्वतः स्पष्ट है कि

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अप्रार्थीगण, परिवादी खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जाँच हेतु की गयी कार्यवाही से संतुष्ट व सहमत है।

अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 512के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर निम्नुसार शास्ति आरोपित की जाती है –

1. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 51 के तहत **निर्माता कम्पनी (अप्रार्थी संख्या 7)** जरिये श्री तरूण शर्मा**(अप्रार्थी सं 6)**मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, ग्राम परसरामपुरा, पोस्ट सरगोठ, नेक्सट टू रीको ओवरहैड वाटर टेंक, श्री खाटूश्यामजी, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, रींगस जिला सीकर (राज)पर रू. **3,00,000/– (रू. तीन लाख मात्र)**
2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 51 के तहत–
   अप्रार्थी संख्या 1 श्री भीष्म बालानी पुत्र श्री तोलाराम (वेण्डर) पर रू. **20,000/– (बीस हजार मात्र)**
   अप्रार्थी संख्या 2. मैसर्स बृजमोहन शर्मा, (प्रोपराईटर राजेन्द्र प्रसाद शर्मा) प्लेंटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर जरिये श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (लाईसेन्सी) अप्रार्थी संख्या 3 पर रू. **20,000/– (बीस हजार मात्र)**
   अप्रार्थी संख्या 4मैसर्स मानसिंह पंवार, डेयरी एण्ड एफएमसीजी प्रोडक्टस, 569, गली नम्बर 2, वार्ड नम्बर 45, गुलाब बाड़ी, अजमेर जरिये अप्रार्थी सं 5श्री मानसिंह पंवार पुत्र श्री अमर सिंह पँवार (वितरक) पर रू. **20,000/– (बीस हजार मात्र)**

की शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 10.09.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय), जयपुर
3. अभिहित अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) जयपुर
4. खाद्य संरक्षा अधिकारी, मण्डल रेल्वे अस्पताल, ब्यावर रोड, अजमेर।
5. श्री भीष्म बालानी पुत्र श्री तोलाराम, रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल मैसर्स बृजमोहन शर्मा, (प्रोपराईटर राजेन्द्र प्रसाद शर्मा) प्लेंटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर। (स्थायी पता – प्लॉट नम्बर 229, यूआईटी कॉलोनी, अजय नगर, अजमेर (खाद्य कारोबारकर्ता/वेण्डर)
6. मैसर्स बृजमोहन शर्मा, (प्रोपराईटर राजेन्द्र प्रसाद शर्मा) प्लेंटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर। (स्थायी पता –धोबीघाट रोड, दादाबाड़ी के पीछे, अम्बाबाड़ी, तोपदडा, अजमेर) (मैसर्स लाईसेन्सी)

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

7. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा, मैसर्स बृजमोहन शर्मा, (प्रोपराईटर राजेन्द्र प्रसाद शर्मा) प्लेंटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर। (स्थायी पता –धोबीघाट रोड, दादाबाड़ी के पीछे, अम्बाबाड़ी, तोपदडा, अजमेर) (प्रोपराईटर)
8. मैसर्स मानसिंह पंवार, डेयरी एण्ड एफएमसीजी प्रोडक्टस, 569, गली नम्बर 2, वार्ड नम्बर 45, गुलाब बाड़ी, अजमेर (फर्म/वितरक)
9. श्री मानसिंह पंवार पुत्र श्री अमर सिह पंवार, डेयरी एण्ड एफएमसीजी प्रोडक्टस, 569, गली नम्बर 2, वार्ड नम्बर 45, गुलाब बाड़ी, अजमेर (प्रोपराईटर/वितरक)
10. श्री तरूण शर्मा पुत्र श्री रामपाल शर्मा (क्वालिटी मैनेजर एण्ड नॉमिनी), मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, ग्राम परसरामपुरा, पोस्ट सरगोठ, नेक्सट टू रीको ओवरहैड वाटर टेंक, श्री खाटूश्यामजी, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, रींगस जिला सीकर (राज) पिन 332404 (स्थायी पता – वार्ड नम्बर 03, गुलाब नगर, रींगस, जिला सीकर पिन 332404) (नॉमिनी/निर्माता)
11. मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, ग्राम परसरामपुरा, पोस्ट सरगोठ, नेक्सट टू रीको ओवरहैड वाटर टेंक, श्री खाटूश्यामजी, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, रींगस जिला सीकर (राज) पिन 332404 (निर्माता)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर